SRO 23/2014 Institutional Staff Gp-C
रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05
REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

Pages 91 to 114
121 to 135

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 9—मार्च 15, 2014, शनिवार/फाल्गुन 18—फाल्गुन 24, 1935
No. 5] NEW DELHI, MARCH 9—MARCH 15, 2014, SATURDAY/PHALGUNA 18—PHALGUNA 24, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.नि.आ. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना समूह 'ख' (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती नियम, 2003 और नौसेना समूह 'ग' और 'घ' (वैज्ञानिक स्टाफ) पद भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में समूह 'ख' वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ख' (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

Note 2: The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)			

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ absorption, trades from which to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption failing which by direct recruitment.	By absorption: Persons having qualification given at Column (7), working in similar or higher grade in lower formations of Defence services.	Group C' Departmental Promotion Committee (for considering probation lifting or confirmation) consisting of. - (1) Brigadier —Chairman (2) Lt Col/ Col or equivalent Civilian Officer of Director General of Electronics and Mechanical Engineers —Member (3) Col Records, Electronics and Mechanical Engineers —Member	Not applicable.

[F. No. PC/89228/RR/Translator/EME Civ (C-2)/36/D(Apptts.)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2014

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) पद भर्ती नियम, 2003 को, जिसे नौसेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) पद भर्ती नियम, 2006 द्वारा संशोधन किया गया है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में पोत प्रतिरूपण अनुदेशक, तैराकी अनुदेशक, मुक्केबाजी अनुदेशक और बिगुल अनुदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) समूह 'ग' पद, शिक्षा कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त किसी भी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पोत प्रतिरूपण अनुदेशक।	01* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 10+2 या समतुल्य और किसी मान्यताप्राप्त पोत प्रतिरूपण फर्म से और किसी मोल्ड लोफ्ट तथा आरेखन कार्यालय से शिक्षुता। (2) उस क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन : रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में ऐसे व्यक्ति जो सदृश या

	समतुल्य अथवा उच्चतर पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित कमान या नौसेना मुख्यालयों के कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक का सिविलियन आफिसर – अध्यक्ष 2. संबंधित कमानों या नौसेना मुख्यालयों के लेफ्टीनेंट कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक के सिविलियन आफिसर रैंक के दो अधिकारी (एक विभागीय और एक विभाग से असंबंध अधिमानतः अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. तैराकी अनुदेशक	05* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत

					की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) भारतीय खेल प्राधिकरण या राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से तैराकी शिक्षण के कोचिंग में डिप्लोमा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन : रक्षा सेवाओं के निम्नतर

	विरचनाओं में ऐसे व्यक्ति जो सदृश या समतुल्य अथवा उच्चतर पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित कमान या नौसेना मुख्यालयों के कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक का सिविलियन आफिसर – अध्यक्ष 2. संबंधित कमानों या नौसेना मुख्यालयों के लेफ्टीनेंट कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक के सिविलियन आफिसर रैंक के दो अधिकारी एक विभागीय और एक विभाग से असंबंद्ध अधिमानतः अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. मुक्केबाजी अनुदेशक	04* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) भारतीय खेल प्राधिकरण या राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मुक्केबाजी शिक्षण के कोचिंग में डिप्लोमा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**आमेलन** : रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में ऐसे व्यक्ति जो सदृश या समतुल्य अथवा उच्चतर पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

910 GI/14—10

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित कमान या नौसेना मुख्यालयों के कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक का सिविलियन आफिसर – अध्यक्ष 2. संबंधित कमानों या नौसेना मुख्यालयों के लेफ्टीनेंट कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक के सिविलियन आफिसर रैंक के दो अधिकारी (एक विभागीय और एक विभाग से असंबंध अधिमानत: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. बिगुल अनुदेशक	03* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

					टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) स्टाफ नोटेशन से संगीत का ज्ञान। (3) सशस्त्र बल या नौसेना या वायु सेना में बिगुल कारलेट या ट्रम्पेट प्लेयर के रूप में चार वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन : रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में ऐसे व्यक्ति जो सदृश या समतुल्य अथवा उच्चतर पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संबंधित कमान या नौसेना मुख्यालयों के कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक का सिविलियन आफिसर – अध्यक्ष 2. संबंधित कमानों या नौसेना मुख्यालयों के लेफ्टीनेंट कमांडर या समतुल्य रैंक अथवा ऊपर के रैंक के सिविलियन आफिसर रैंक के दो	लागू नहीं होता।

अधिकारी (एक विभागीय और एक विभाग से असंबंध अधिमानत: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो – सदस्य	

[फा. सं. सीपी/एनजी/2811/आई एस/487/डी(अपार्दश)आरआर/2014]

दशरथ सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 7 March, 2014

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Ship Modelling Instructor, Swimming Instructor, Boxing Instructor and Bugler Instructor in the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C', Posts Instructional Staff Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay/scales of pay.**- The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay/scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification:** No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a persons having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, consultation with the Union Public Service Commission, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay/ pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit of direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ship-Modelling Instructor.	01* (2014) Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Pay Band-1 Rs 5200-20200 Grade Pay-Rs. 2800.	Non-selection.	Between 18 and 25 years. (relaxable for departmental candidates up to 40 years) **Note 1.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2.** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(1) 10+2 or equivalent from a recognized Board or Institution and having Apprenticeship from a recognized ship building firm or mould loft and drawing office. (2) Six years experience in the field.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or absorption or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If departmental promotion committee exists what is the composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Persons holding analogous or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - Chairman: Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Command or Naval Headquarters. Members: Two officers of the rank of Lieutenant Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Commands or Naval Headquarters (one departmental and one unconnected with the department, preferably one belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Swimming Instructor.	05* (2014) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200, grade pay-Rs. 2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for departmental candidates up to 40 years). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh,	(1) Matriculation or equivalent from a recognized Institution or Board. (2) Diploma in Coaching in Swimming discipline from Sports Authority of India or National Institute of Sports or recognized university.

					Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2. - In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Persons holding analogous or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- Chairman: Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Command or Naval Headquarters. Members: Two officers of the rank of Lieutenant Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Commands or Naval Headquarters (one departmental and one unconnected with the department, preferably one belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Boing Instructor. Boxing	04*(2014) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200, grade pay-Rs. 2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for departmental candidates up to 40 years). Note1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(1) Matriculation or equivalent from a recognized Institution or Board. (2) Diploma in Coaching in Boxing discipline from Sports Authority of India or National Institute of Sports or recognized university.

					Note 2.- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Persons holding analogous or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - Chairman: Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Command or Naval Headquarters. Members: Two officers of the rank of Lieutenant Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Commands or Naval Headquarters (one departmental and one unconnected with the department, preferably one belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes).	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Bugler Instructor.	03*(2014) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs 5200-20200, grade pay-Rs. 1900.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for departmental candidates up to 40 years). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2.- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(1) Matriculation or equivalent from a recognized Institution or Board. (2) Knowledge of Music from staff notation. (3) Four years experience as Bugler Cornet or Trumpet Player in the Armed Forces or Navy or Air Force.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Persons holding analogous or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing qualifications specified in column (7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - Chairman: Officer of the rank of Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Command or Naval Headquarters. Members: Two officers of the rank of Lieutenant Commander or civilian officer of equivalent rank or above of respective Commands or Naval Headquarters. (one departmental and one unconnected with the department, preferably one belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes).	Not applicable.

[F. No. CP(NG)/2811/IS/487/D(Apptts)/RR/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना मेसवेटर और लिपिक भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में मेसवाला-सह-लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना, मेसवाला-सह-लिपिक, भर्ती नियम, 2014 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड या वेतनमान वह होंगे, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।